।न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

अपील संख्या 138 / 2016

धर्मसिंह पुत्र रूलियाराम जाति मेघवाल निवास ग्रामू निरवाणा, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

---अपीलांट

बनाम

1. चन्द्रशेखर
2. मीनाक्षी
3. अल्का

पि. व्यासदेव निवासी ग्राम रिडी तह. जस्वां कोटला जिला कोटला कांगड़ा (हि0 प्र0)

4. राजस्थान सरकार जरिए पेरोकार राज, तहसीलदार राज़स्व, सूरतगढ़।
5. राजेश सिंह
6. मुकेश सिंह

पि. कृष्ण सिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम निरवाना तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

---रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

दिनांक 04.05.2016

उपस्थितिः-

श्री बाबूलाल चाण्डक, अभिभाषक अपीलांट

श्री अशोक छाबड़ा, अभिभाषक रेस्पो.

24/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय :– दिनांक :– 24.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 17.04.2015 को जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्रांक 2120–22 दिनांक 10.04.2015 प्राप्त होने पर पत्रावली पेशी में ली जाकर दर्ज रजिस्टर की गई एवं प्रार्थी को जरिए नोटिस तलब करने के आदेश दिए गए । दिनांक 22.05.2015 को प्रार्थी चन्द्रशेखर ने उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को प्रार्थना पत्र पेश कर अपने पक्ष में दस्तावेज पेश किए। तत्पश्चात् दिनांक 04.05.2016 को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ ने चक 5 एनआरडी के प. नं. 92/311 के कि. नं. 1 ता 10 चक 3 एनआरडीए के प. नं. 85/316 के कि. नं. 1 ता 6, 10, 11, 15 ता 17, 20 ता 24 की कुल 6.070 है. भूमि चन्द्रशेखर, मीनाक्षी, अल्का को बतौर पौंग बांध विस्थापित आवंटन करने के आदेश दिए जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि प. नं. 92/311 के कि. नं. 1 ता 10 की 2.277 है. भूमि रेस्पो. को आवंटन योग्य नहीं थी । क्योंकि उक्त भूमि के स्माल पेच के आवंटन का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष विचाराधीन था । ऐसी स्थिति में उक्त भूमि रेस्पो. को बतौर पौंग बांध विस्थापित आवंटित नहीं की जा सकती । विवादित भूमि पर

24/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने बिना पक्षकार बनाए पारित किया गया है। विवादित भूमि अपीलांट के मुरब्बा में है एवं वह स्माल पेच में आवंटन का पात्र है। रेस्पों. सं. 1 ता 3 को भूमि आवंटित होने के पश्चात उनके द्वारा उक्त भूमि रेस्पों. सं. 5 व 6 को विक्रय कर दी। जबकि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि स्माल पेच बाबत रिमाण्ड प्रकरण विचाराधीन है । अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश करदी। जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रकबाराज थी एवं पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित है। अपीलांट का स्माल पेच भूमि के आवंटन का प्रकरण विचाराधीन होने से यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांट उक्त भूमि के आवंटन की पात्रता रखता है । विवादित भूमि स्माल पेच के लिए आरक्षित नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश की पालना में रेस्पों. जो कि पौंग बांध विस्थापित है, उन्हें बतौर

25/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पौंगबांध विस्थापित विवादित भूमि का आवंटन किया है । जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं उनका खण्डन रेस्पो. द्वारा नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 04.05.2016 के विरूद्ध दिनांक 16.06.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं उनका खण्डन रेस्पो. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया गया है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने बिना पक्षकार बनाए पारित किया गया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील विरोधाभास से परिपूर्ण है । अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान उपनिवेशन (सरकार भूमि का आवंटन एवं विक्रय पौंग बांध विस्थापित इ0न0प0) नियम 1972 के नियम 10 व सपठित धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। पौंग बांध विस्थापितों के लिए बने नियमों के नियम 10 में अपील का क्षेत्राधिकार उपनिवेशन आयुक्त को है जो नियमों में वर्णित है । जैसा कि पौंग बांध विस्थापितों के आवंटन के

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निरस्तीकरण से जो आवंटन पीड़ित है उनकी अपीलें राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत राजस्व अपील अधिकारी को पेश होती है जो इन आवंटनों से पीड़ित व्यक्ति (आवंटी के अतिरिक्त) की अपील उपनिवेशन आयुक्त को कर सकता है, नियमों में प्रावधान है के अतिरिक्त अपीलांट ने पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि में स्माल पेच में आवंटन का अनुतोष अपील में चाहा है । परन्तु अपील में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं है । अपीलांट पौंग बांध का विस्थापित हो कहीं विवेचित एवं वर्णित नहीं हैं । जबकि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि केवल पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास हेतु आवंटन के लिए आरक्षित है । इसी अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चन्द्रेशेखर, मीनाक्षी, अल्का को भूमि आवंटित की है जो पौंग बांध विस्थापित होकर परीक्षणोपरान्त आवंटन की पात्रता रखने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन किया गया है जबकि अपीलांट इस भूमि को बतौर स्माल पेच के रूप में आवंटन का अनुतोष चाहा है जो 1972 के नियमों में प्रावधान नहीं है । अपील अपीलांट की लिखित बहस भी रिकॉर्ड से परे है । जैसाकि रेस्पों. नं. 1 ता 3 को भूमि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पौंग बांध विस्थापित होने के नाते आवंटित है जबकि लिखित बहस में इसे स्माल पेच के रूप में आवंटन होना बताया है जो रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है । उपरोक्त के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के आवंटन को जिन आधारों पर गलत बताया है वह भी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं जैसा कि रेस्पों. को आवंटन बेनामी आवंटन

24/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जाहिर किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर यह स्पष्ट अंकित है कि आवंटी पौंग बांध विस्थापित होकर उनका प्रकरण क्र.सं. 100 पर दर्ज है तथा यह पृष्ठांकन जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन के मार्फत आवंटन अधिकारी को प्राप्त हुआ, अतः अपीलांट का यह कथन मानने योग्य नहीं है। साथ ही पूर्व में जो स्माल पेच के आवंटन की अपीलें होकर धर्मसिंह के कथनों को स्वीकार किया गया है उसमें स्माल पेच के रूप में हुए आवंटन को तो गलत माना है । तथा पत्रावली रिमाण्ड होकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जैसाकि उपर विवेचित है यह भूमि स्माल पेच के आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है । तदानुसार लंबित रिमाण्ड प्रकरण को विवेचित करते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर